"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 526] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2015— कार्तिक 22, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2015

क्रमांक 10705/डी. 306/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्रमांक 4 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2015

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्र. 29 सन् 1983 को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए, प्रभावी होगा.

धारा 4 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में, -

(एक) खण्ड (तीन) में, -

(क) उप-खण्ड (क) में, शब्द तथा चिन्ह "सिंचाई" के पश्चात्, चिन्ह तथा शब्द ",पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग" अंत:स्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द "पांच वर्ष", जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) खण्ड (तीन) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु यह कि खण्ड (तीन) के मामले में, अपवादात्मक परिस्थितियों में, राज्य शासन, दो वर्ष की विहित न्यूनतम अवधि को, एक वर्ष या एक वर्ष से कम, शिथिल कर सकेगा."

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2015

क्रमांक 10705/डी. 306/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-11-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE

(No. 4 of 2015)

THE CHHATTISGARH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2015

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2015.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

The Chhattisgarh Act No. 29 of 1983 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendment specified in Section 3.

Amendment of Section 4.

3. In sub-section (3) of Section 4 of the Principal Act,-

(i) In clause (iii),-

(a) In sub-clause (a), after the word "Irrigation", the punctuation and words, ",Department of Panchayat and Rural Development" shall be inserted; and

(b) For the words "five years", wherever they occur, the words "two years" shall be substituted.

(ii) For proviso to clause (iii), the following shall be substituted, namely:-

"Provided that in case of clause (iii), in exceptional circumstances, the State Government may, relax the prescribed minimum period of two years to one year or less than one year."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.